



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213
Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176213

क्रमांक: हि०शि०बो०(31) राज्य मुक्त विद्यालय प्रशासन/19020-102

दिनांक:- 02-02-2021

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1968 की धारा 19(3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के तहत आठवीं, दसवीं और जमा दो कक्षा में पंजीकृत परीक्षार्थियों को अपनी परीक्षा पांच वर्ष में निर्धारित किये गए नौ अवसरों में ही उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यदि कोई भी पंजीकृत परीक्षार्थी समय अवधि से पूर्व उसी परीक्षा के लिए पुनः नया पंजीकरण उसी अध्ययन केन्द्र या अन्य किसी अध्ययन केन्द्र से करवाता है तो ऐसे में परीक्षार्थी के नये पंजीकरण को रद्द माना जाएगा तथा नये पंजीकरण के तहत दी गई परीक्षा के परीक्षा परिणाम का भी लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क को भी Refund नहीं किया जाएगा।

सचिव

दिनांक: 02-02-2021

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान सचिव(शिक्षा), हि० प्र० सरकार, शिमला-171002।
2. निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हि० प्र०, शिमला 171001।
3. निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
4. निजी सहायक, सचिव, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
5. अतिरिक्त सचिव/समस्त उप-सचिव/सहायक सचिव, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
7. हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के अध्ययन केन्द्रों में तैनात समस्त समन्वयकों को उपरोक्त वर्णित अनुसार आगामी कार्यवाही करने हेतु।
8. अनुभाग अधिकारी सामान्य शाखा हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को उपरोक्त अधिसूचना को आगामी बौर्ड की बैठक में सम्मिलित करने हेतु।
9. अनुभाग अधिकारी आई० टी० शाखा हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को उपरोक्त अधिसूचना बोर्ड वेबसाईट पर अपलोड करने व इससे सम्बन्धित ऑनलाइन साईट में आवश्यक बदलाव/संशोधन करने हेतु।
10. लोक सम्पर्क अधिकारी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।

सचिव